



SPREE 2025?

Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees

1st July -31st December 2025

✔ What is SPREE 2025?

SPREE 2025 is a one-time special initiative by ESIC to encourage self-registration of unregistered employers and those who have not registered all eligible employees with ESIC.

Duration : 1st July to 31st December 2025

Objective : Expand social security coverage under the ESI Act without any contributions, penalties and legal action for the previous period.

🏠 Who can Benefit?

Employers:

- Those with factories or establishments (shops, hotels & restaurants, cinema halls, Road Motor Transport Establishments, Newspaper Establishments, Private Medical Institutions, educational institutions and contract & casual employees of municipal corporations) with 10 or more persons in ESIC implemented areas.
- Who haven't registered all eligible employees

📄 How to Register?

Visit: www.esic.gov.in

For more help visit :

https://portal.esic.gov.in/ESICInsurance1/ESICInsurancePortal/Employer_Employee_registration_through_portal.pdf

Shram Suvidha Portal :

<https://registration.shramsuvidha.gov.in/user/register>

MCA Portal : www.mca.gov.in

👤 Key Benefits for Employers

Hassle- free registration process.

- Online Registration via ESIC Portal, Shram Suvidha or MCA
- Without any demand for contribution of previous period and without any penalty
- Production of any records and inspection for the prior period is not required.
- No legal action for the previous period.

Employees:

- Avail the social security benefits under ESI Act from the date of registration.
- Medical Care- Primary, Secondary and Tertiary medical benefit for self and family.
- Cash benefits for sickness, maternity and injury or death during the course of employment
- Reservation of seats in ESIC medical/dental colleges under ward of IP scheme

📅 Coverage Date

Coverage of employer will commence on the date specified by the employer.

🏃 Don't miss opportunity

Register today for your peace of mind and to ensure a secure and protected future for your workforce and their families.



सत्यमेव जयते



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India

FOLLOW US ON



(Scan QR Code)



स्प्री 2025?

नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए प्रोत्साहन योजना (SPREE)

1 जुलाई – 31 दिसम्बर 2025

✓ स्प्री 2025 क्या है?

स्प्री 2025 अपंजीकृत नियोक्ताओं और अपने सभी पात्र कर्मचारियों को क.रा.बी. निगम के साथ पंजीकरण नहीं कराने वाले नियोक्ताओं को स्व-पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क.रा.बी. निगम द्वारा शुरू की एक विशेष पहल है।

अवधि: 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025

उद्देश्य: पिछली अवधि के लिए किसी भी अंशदान, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई के बिना क.रा.बी. अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा व्यापकता का विस्तार करना।

🏠 किसे लाभ होगा?

नियोक्ता:

- क.रा.बी. निगम क्रियान्वित क्षेत्रों में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले कारखाने या स्थापनाओं (दुकानें, होटल एवं रेस्टोरेट, सिनेमा हॉल, सड़क मोटर परिवहन स्थापनाएं, समाचार पत्र स्थापनाएं, निजी चिकित्सा संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं और नगर निगमों के सविदा एवं अनियत मजदूर कर्मचारी) के नियोक्ता।
- जिनहोंने सभी पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कराया है

📝 पंजीकरण कैसे करें?

www.esic.gov.in पर जाएं

अधिक सहायता के लिए देखें:

https://portal.esic.gov.in/ESICInsurance1/ESICInsurancePortal/Employer_Employee_registration_through_portal.pdf

श्रम सुविधा पोर्टल:

<https://registration.shramsuvridha.gov.in/user/register>

एमसीए पोर्टल: www.mca.gov.in

👤 नियोक्ताओं को मुख्य लाभ

परेशानी मुक्त पंजीकरण प्रक्रिया

- क.रा.बी. निगम पोर्टल, श्रम सुविधा या एमसीए के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण
- पिछली अवधि के अंशदान जमा करने या जुमाना देने से छूट
- पिछली अवधि के अगिलेखों और निरीक्षण की आवश्यकता नहीं
- पिछली अवधि के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं

कर्मचारी:

- पंजीकरण की तिथि से ही क.रा.बी. अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठाएँ
- चिकित्सा देखभाल - स्वयं और परिवार के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा हितलाभ
- रोजगार के दौरान बीमारी, मातृत्व और चोट या मृत्यु के लिए नकद हितलाभ
- वार्ड ऑफ आईपी योजना के तहत क.रा.बी. निगम चिकित्सा/दंत्य महाविद्यालयों में सीट आरक्षित

📅 व्यापकता की तिथि

नियोक्ता की व्यापकता नियोक्ता द्वारा निर्धारित तिथि से मानी जाएगी

🕒 अवसर न गँवाएँ

चिंता से मुक्ति और अपने कर्यबल तथा उनके परिवारों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज ही पंजीकरण करें।



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India



हमें फॉलो करें



क्वैरर कोड स्कैन करें



SPREE 2025

A Safer Workforce. A Stronger Business.

Peace of Mind for Employers, Protection for Employees.

Special Registration Window

1st July 2025 – 31st December 2025



To know more, visit: <https://www.esic.gov.in> or
Contact your nearest Branch office /Sub Regional Office/ Regional Office

Toll-free helpline: **1800-11-2526**

What is SPREE 2025?

SPREE 2025 is a one-time special initiative by ESIC to encourage self-registration of unregistered employers and those who have not registered all eligible employees with ESIC.

Duration : 1st July to 31st December 2025

Objective : Expand social security coverage under the ESI Act without any contributions, penalties and legal action for the previous period.

Who can Benefit?

Employers:

- Those with factories or establishments (shops, hotels & restaurants, cinema halls, Road Motor Transport Establishments, Newspaper Establishments, Private Medical Institutions, educational institutions and contract & casual employees of municipal corporations) with 10 or more persons in ESIC implemented areas.
- Who haven't registered all eligible employees

How to Register?

Visit : www.esic.gov.in

For more help visit : https://portal.esic.gov.in/ESICInsurance1/ESICInsurancePortal/Employer_Employee_registration_through_portal.pdf

Shram Suvidha Portal : <https://registration.shramsuvidha.gov.in/user/register>

MCA Portal : www.mca.gov.in

Key Benefits for Employers

Hassle- free registration process.

- Online Registration via ESIC Portal, Shram Suvidha or MCA
- Without any demand for contribution of previous period and without any penalty
- Production of any records and inspection for the prior period is not required.
- No legal action for the previous period.

Employees:

- Avail the social security benefits under ESI Act from the date of registration.
- Medical Care- Primary, Secondary and Tertiary medical benefit for self and family.
- Cash benefits for sickness, maternity and injury or death during the course of employment
- Reservation of seats in ESIC medical/dental colleges under ward of IP scheme

Coverage Date

Coverage of employer will commence on the date specified by the employer.

Don't miss opportunity

Register today for your peace of mind and to ensure a secure and protected future for your workforce and their families.



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India

FOLLOW US ON



(Scan QR Code)



स्त्री 2025 सुरक्षित कार्यबल विकसित व्यवसाय

नियोक्ताओं की मानसिक शांति, कर्मचारियों की सुरक्षा

विशेष पंजीकरण अभियान

1 जुलाई 2025 - 31 दिसम्बर 2025

अधिक जानकारी के लिए <https://www.esic.gov.in> देखें या
अपने नजदीकी शाखा कार्यालय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क करें

टॉल फ्री हेल्पलाइन : 1800-11-2526



एपी 2025 क्या है?

एपी 2025 अपंजीकृत नियोक्ताओं और अपने सभी पत्र कर्मचारियों को क.रा.बी. निगम के साथ पंजीकरण नहीं करने वाले नियोक्ताओं को स्व-पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क.रा.बी. निगम द्वारा शुरू की एक विशेष पहल है।

अवधि: 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025

उद्देश्य: पिछली अवधि के लिए किसी भी अंशदान, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई के बिना क.रा.बी. अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा व्यापकता का विस्तार करना।

कैसे लाभ होगा?

नियोक्ता:

- क.रा.बी. निगम क्रियान्वित क्षेत्रों में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले कारखाने या स्थापनाओं (दुकानें, होटल एवं रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, सड़क मोटर परिवहन स्थापनाएं, समाचार पत्र स्थापनाएं, निजी चिकित्सा संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं और नगर निगमों के सविदा एवं अनियत मजदूर कर्मचारी) के नियोक्ता।
- जिनहोंने सभी पत्र कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं करवाया है

पंजीकरण कैसे करें?

www.esic.gov.in पर जाएं

अधिक सहायता के लिए देखें: https://portal.esic.gov.in/ESICInsurance1/ESICInsurancePortal/Employer_Employee_registration_through_portal.pdf

श्रम सुविधा पोर्टल: <https://registration.shramsuvridha.gov.in/user/register>

एमसीए पोर्टल: www.mca.gov.in

नियोक्ताओं को मुख्य लाभ

परेशानी मुक्त पंजीकरण प्रक्रिया

- क.रा.बी. निगम पोर्टल, श्रम सुविधा या एमसीए के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण
- पिछली अवधि के अंशदान जमा करने या जुर्माना देने से छूट
- पिछली अवधि के अभिलेखों और निरीक्षण की आवश्यकता नहीं
- पिछली अवधि के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं

कर्मचारी:

- पंजीकरण की तिथि से ही क.रा.बी. अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठाएँ
- चिकित्सा देखभाल - स्वयं और परिवार के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा हितलामा
- रोजगार के दौरान बीमारी, मातृत्व और घोट या मृत्यु के लिए नकद हितलामा
- वार्ड ऑफ आईपी योजना के तहत क.रा.बी. निगम चिकित्सा/दंत्य महाविद्यालयों में सीट आरक्षित

व्यापकता की तिथि

नियोक्ता की व्यापकता नियोक्ता द्वारा निर्धारित तिथि से मानी जाएगी

अवसर न गँवाएँ

चिंता से मुक्ति और अपने कर्यबल तथा उनके परिवारों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज ही पंजीकरण करें।



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India

हमें फॉलो करें



क्यूआर कोड स्कैन करें